(b) if so, whether Government propose to establish more Regional Cancer Centres in Maharashtra particularly at Nagpur; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) to (c) Tata Memorial Hospital, Mumbai is a Regional Cancer Centre which provides comprehensive facilities for diagnosis and treatment of cancer patients. Besides, radio-therapy facilities for treatment of cancer are available in 15 other institutions in Maharashtra. Out of these two institutions are in Nagpur. There is no proposal at—present to recognise another institution as Regional Cancer Centre in the State.

Molestation of NRI girl by Air India official on Mumbai bound flight

3574. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an Air India official on Mumbai bound flight AI-112 from London molested a teenager Non-Resident Indian girl on board;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what action has been taken against the Air India official for his indecent action defaming the airlines and also to ensure high standards of morality and discipline among the AI personnel?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) to (c) An Air India employee while on leave and travelling on AI-112 flight of 6th July, 1996, molested a girl on board the same flight. He has been dismissed from service from 6th August, 1996.

मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की विभिन्न न्यायपीठों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

3575. **श्री राधाकिशन मालवीय:** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर, इन्दौर और ग्वालियर की न्यायपीठों में वर्तमान में न्यायाधीशों के कितने रिक्त पड़े हैं;

(ख) उक्त न्यायपीठों में इस समय कार्य कर रहे न्यायाधीशों की संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसे रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है और ये पद कब से रिक्त पड़े हुए हैं?

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप): (क) से (ग) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 26 स्थायी न्यायाधीश और 8 अपर न्यायाधीश की स्वीकृत पद संख्या है। 1-9-1996 को भरे जाने वाले स्थायी न्यायाधीशों की 4 और अपर न्यायाधीशों के 2 रिक्तियों को छोड़कर, 22 स्थायी न्यायाधीश और 6 अपर न्यायाधीश पदासीन हैं। ये पद न्यायाधीशों की समय-समय पर सेवानिवृत्ति और स्थानान्तरण के कारण रिक्त हुए।

राष्ट्रपतीय अधिसूचना के अनुसार, चार न्यायाधीशों से अन्यून, जैसा कि मुख्य न्यायमूर्ति समय-समय पर नामनिर्दिष्ट करें, इन्दौर में आसीन होंगे और दो न्यायाधीशों से अन्यून, जैसा कि मुख्य न्यायमूर्ति समय-समय पर नामनिर्दिष्ट करे, ग्वालियर में आसीन होंगे।

मध्य प्रदेश रजिस्ट्री से प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 न्यायाधीश जबलपुर में, 8 न्यायाधीश इन्दौर में और 6 न्यायाधीश ग्वालियर में आसीन हैं।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में विद्यमान रिक्तियों को भरने के लिए संबद्ध संवैधानिक प्राधिकारियों के बीच परामर्श की प्रक्रिया जारी है। यह बताना संभव नहीं है कि इन पदों को कब तक भरा जाएगा।

Denial of Government order to the Hindustan Latex

3576. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Hindustan Latex is facing a threat of closure due to the

refusal of Government to place orders for the products;

(b) if so, the reasons for reducing/denying the order for products; and

(c) whether Government will place orders to the Hindustan Latex?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) No, Sir. Orders are placed on M/s Hindustan Latex Ltd. in terms of the policy of purchase perference.

(b) Question does not arise, in view of reply to (a) above.

(c) Orders will be placed in terms of policy of purchase Preference.

Setting up of a bench of Karnataka High Court at Gulbarga

3577. SHRI GUNDAPPA KORWAR: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Government of Karnataka had taken a decision in 1992 for setting up of bench of Karnataka High Court at Gulbarga; and

(b) whether Government have taken any decision for setting up of bench at Gulbarga and if not, by when a decision is proposed to be taken and implemented?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS, LEGISLATIVE DEPARTMENT AND DEPARTMENT OF JUSTICE (SHRI RAMAKANT D. KHALAP): (a) and (b) The Government of Karnataka had sent a proposal for the establishment of a bench of the Karnataka High Court at Hubli-Dharwad. In his letter dated 25.7.95, the then Chief Minister of Karnataka stated that on 28.5.92, the State Government had decided to recommend for the establishment of another bench of the High Court at Gulbarga. However, no such proposal has been received from the State Government in consultation with the High Court. As such, it is not possible for the Central Government to consider the question of establishment of a High Court bench at Gulbarga.

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीश

3578. **श्री मूलचन्द मीणा:** क्या विधि और न्याय मंत्री जुलाई, 1996 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1597 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, और

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है?

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी॰ खलप): (क) और (ख) 1.9.1996 को, भारत के उच्चतम न्यायालय में 25 न्यायाधीश थे और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 503 न्यायाधीश अपर न्यायाधीश थे।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में व्यक्तियों की जाति और वर्ग के आधार पर नियुक्ति के विषय में आरक्षण न होने के कारण, जाति या वर्ग, आदि के संबंध में पृथक् रूप से कोई जानकारी नहीं रखी जाती है।

वाहनों संबंधी बीमा दावे

3579. **श्री कनकसिंहु मोहन सिंह मंगरोला:**
श्री नागमणि:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बीमा कंपनियों को वाहनों के संबंध में किये जाने वाले बीमा दावों के मामलों का निपटान करने में कितना समय लगता है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पेश किये गये ऐसे दावों की संख्या कितनी है तथा तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार लंबित पड़े मामलों की कंपनी-वार संख्या कितनी-कितनी है;